

## **अध्याय-४ उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि० कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम**

यह निगम राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है। अतः निगम के समस्त प्रशासनिक एवं व्यवसायिक क्रिया-कलापों का संचालन उ०प्र०शासन के वित्त विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। निगम का निदेशक मण्डल भी समस्त प्रशासनिक एवं व्यवसायिक प्रकरणों में निर्णय लेते समय उक्त दिशा निर्देशों का यथा सम्भव पालन करता है।